मिसल नम्बर 386/18 तारीक रजु 15.2.18 रिपोर्ट पटवारी हल्का............ बनाम

श्री रामस्वरूप पुत्र कजोड़ी ....जाति गुर्जर ....निवासी सिकन्दरपुर ....तहसील...... महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज.भू–अधिनियम 1956

दिनांकः– 6.3.18

निर्णयः–

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री रामस्वरूप ....ने ग्राम सिकन्दरपुर ....को भूमि ख.न. 889/1023 .... रकबा 0.40 ....किस्म चरागाह ....फसल:– ....रबि / ~~खरीफ~~ संवत 2074 ... म गेहूं ....कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरूद्व प्रकरण अंतर्गत धारा 91 (6) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। उसके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त जवाब में उसके द्वारा शपथ पत्र / प्रार्थना पत्र पेश कर अतिक्रमित रकबा को छोडने हेतु लिखकर दिया जो संलग्न पत्रावली किया गया है व मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नही है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 889/1023 .... रकबा 0.40 ....किस्म चरागाह ....वाके ग्राम सिकन्दरपुर ....से बेदखल किया ~~किया~~ जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 8.00 का 50 .... गुणा 400 ....शास्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खडी फसल गेहूं .... को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते है। भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खडी फसल को ~~नष्ट~~ / नीलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हो। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसुली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया

(हस्ताक्षर)
नायब तहसीलदार
महवा (दौसा)

रजिस्टर ग/व के पेज नं0 ...112.... पर
वर्ष 2017-18 में पेनल्टी/प्रीमियम/नीलामी
की राशि ... 400रु ... रु0....
की जमा ...
दिनांक 12/3/18 तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील–महवा